प्ररूप – ड
(नियम3(2)देखिये)
अनुशंसा

प्रति,

अध्यक्ष , गंगा मैय्या दुग्ध उत्पादक
एवं प्रसंस्करण सहकारी समिति मर्या0 बालोद
पं. क्रं. 87 (छ0ग0)

विषय :– प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

––000––

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 09.12.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 31.12.2024 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 22.01.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :– **आवेदित भूमि पर स्थित 01 नग नीम प्रजाति के वृक्ष जो दुध गंगा अतिरिक्त कक्ष निर्माणाधीन भवन के बीच मे स्थित होना प्रतिवेदित किये है ।**

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि **ग्राम बालोद स्थित नजूल भूमि ख0नं0 890 रकबा 0.2020 हे0 मे स्थित निरीक्षण जॉच प्रतिवेदन अनुसार 1 नग नीम प्रजाति के वृक्ष है,** को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वप उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य होगी।

(मुहर: कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, बालोद (छ.ग.))

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग बालोद, तह. बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)
(मुहर: अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.))

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर जिला बालोद की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बालोद की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
3. तहसीलदार बालोद को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग बालोद, तह. बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)
(मुहर: अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.))

Scanned with CamScanner